



गाजियाबाद

विकास

प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद


पत्रांक: 11/11/17 / प्रवर्तन जोन-3 / 2017

दिनांक

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र
(आवेदन पत्र के भाग 'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटो कॉपी पर जारी किया जा रहा है)

श्री प्रकाश मिश्रा अस्टिन्ट मैनेजर आई0एफ0सी0आई इन्फ्रा स्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) 61, नेहरू प्लेस नई दिल्ली द्वारा खसरा संख्या- 354, 355एम, 370, 371, 372एम 373/1, 373/2, 374 से 377 तक एवं 388 से 391 तक ग्राम ढरगल मेरठ रोड पर निर्मित गुप हाउसिंग भवन के सम्पूति प्रमाण पत्र का परीक्षण कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा शमन स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उ0प्र0 प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार पूर्णता-पत्र का निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जा रहा है :-

1. विभिन्न विभागों द्वारा जारी एन0ओ0सी0 पत्रों में उल्लेखित सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा अन्यथा की स्थिति में सम्पूति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
2. मानचित्र के विपरीत भविष्य में किसी भी प्रकार के निर्माण किये जाने पर सम्पूति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
3. शमनित/स्वीकृत मानचित्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग क्रियाशील रखने एवं रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
5. किसी त्रुटिवश कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।


27-12-17
(धर्मवीर सिंह)

सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-3